

5. Dec-12/D-10333 2021/11/06

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

379

जयपुर विकास प्राधिकरण की कार्यकारी समिति की 109वीं बैठक दिनांक 18.11.2006 में लिये गये निर्णय एवं कार्यवाही विवरण ।

क्र.स.	ए.स.	विषय	बैठक में लिये गये निर्णय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
1	109.1	कार्यकारी समिति की 108 वीं बैठक दिनांक 17.10.2006 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि एवं लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति रिपोर्ट ।	सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।		
2	109.2	भूखण्ड की बहाली पश्चात् आवंटन हेतु प्रकरण भूमि एवं सम्पत्ति समिति में रखे जाने के संबंध में।	विचार-विमर्श पश्चात् सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया एवं प्रकरण एल.पी.सी की बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जॉन-12	
3	109.3	सहकार मार्ग एवं रेलवे लाइन के बीच, जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की भूमि के पास स्थित भूखण्ड संख्या 1 के भू-उपयोग उपान्तरण के संबंध में।	सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की जाकर प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण राज्य सरकार को अग्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।	निदेशक आयोजना	
4	109.4	श्री महेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियंता की 4 वर्ष पश्चात् प्रतिनियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि बाबत।	श्री महेन्द्र प्रसाद, सहायक अभियंता की प्रतिनियुक्ति दिनांक 7.1.07 तक बढ़ाई जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 4 वर्ष की अवधि के पश्चात् का प्रतिनियुक्ति भत्ता देय नहीं होगा।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
5	109.5	ग्राम कानोता तहसील बस्ती के खसरा नं. 970/572, 971/574, किता 2 क्षेत्रफल 13 बीघा के भू-उपयोग उपान्तरण के संबंध में।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदित भूमि 32880 वर्ग मी. में से सड़क सीमा से प्रभावित 2188.50 वर्ग मी., भूमि प्लांटेशन कोरीडोर से प्रभावित 3780 वर्ग मी. व 3505 वर्ग मी. जो आवेदक के कब्जे में नहीं है के अतिरिक्त शेष बची 23106.5 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग उपान्तरण ग्रामीण से वाणिज्यिक (होटल) किये जाने का निर्णय लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
6	109.6	जविप्रा क्षेत्र में स्थित तहसील सांगानेर के राजस्व ग्राम श्रीरामपुरा के खसरा नम्बर 627, 628, 638, 640, 641, 629, कुल किता 6 रकबा 2.31 हैक्टैयर भूमि में से 100 फीट सड़क में निहित होने वाली 1385.32 वर्ग मी. भूमि को छोड़ने के पश्चात् शेष 26242.28 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में।	आवेदित रकबा 2.31 हैक्टैयर भूमि में से 100 फीट सड़क में निहित होने वाली 1385.32 वर्ग मी. भूमि को छोड़ने के पश्चात् शेष 26242.28 वर्ग मी. भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
7	109.7	जविप्रा क्षेत्र में स्थित राजस्व ग्राम महापुरा तहसील सांगानेर के खसरा नं 519/1, 520, 521, 522, 523/1, 570/1, 571, 572, 581/1813, 582/1, 583/1, 583/1814 कुल किता 13 रकबा 39800 वर्ग मीटर भूमि में से सड़क की 3029.00 वर्ग मी. भूमि को छोड़कर शेष बची 36584.12 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने के संबंध में।	आवेदित रकबा 39800 वर्ग मीटर भूमि में से सड़क की 3029.00 वर्ग मी. भूमि को छोड़कर शेष बची 36584.12 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से संस्थानिक किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
8	109.8	जविप्रा क्षेत्र में स्थित ग्राम निवारु तहसील जयपुर के खसरा नं. 521/648 रकबा 1 बीघा (2530 वर्ग मीटर) भूमि में से आवेदक द्वारा चाहे गये अनुसार मात्र 960 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने के संबंध में।	आवेदित रकबा 1 बीघा (2530 वर्ग मीटर) भूमि में से आवेदक द्वारा चाहे गये अनुसार मात्र 960 वर्गमीटर भूमि का भू-उपयोग वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	

क्र.सं.	स.सं.	विषय	युक्त मालिय गय निणय/ सुझाव	सम्बन्धित अधिकारी	पालना रिपोर्ट
9	109.9	गोविन्दपुरा सांगानेर आवासीय योजना में विस्थापित परिवारों के भूखण्ड/आवास आवंटनों के नियमितिकरण के संबंध में।	विचार विमर्श पश्चात ऐजेण्डे में प्रस्तावित दो वर्ष से कम अवधि के क. सं. 1 से 3 तक के प्रकरणों में स्वीकृति दी गई एवं दो वर्ष से अधिक अवधि के क.सं. 4 से 7 तक के प्रकरणों में आवंटियों द्वारा राशि जमा करा दी जाती है तो प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाये जाने का निर्णय लिया गया।	उपायुक्त जोन-8	
10	109.10	ग्राम कानोता तहसील बस्सी के खसरा नं. 25/1 की कुल भूमि 1 बीघा 19 बिस्वा अर्थात् 4932 वर्गमीटर भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग रूपान्तरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है।	आवेदित खसरा नं. 25/1 की कुल भूमि 1 बीघा 19 बिस्वा अर्थात् 4932 वर्गमीटर भूमि वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग उपान्तरण किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रप्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
अन्य मुद्दे आयुक्त महोदय की स्वीकृति से Supplementary agenda					
11	109.11	श्री विजय कुमार अग्रवाल पुत्र श्री हरविलास अग्रवाल ने अपोली गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नीलकण्ठ कालोनी के पुर्नगठित संख्या 48 एवं 108 क्षेत्रफल 443.43 वर्ग गज का मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग उपान्तरण किये जाने हेतु।	आवेदित नीलकण्ठ कालोनी के पुर्नगठित भूखण्ड संख्या 48 एवं 108 क्षेत्रफल 443.43 वर्ग गज का मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार आवासीय से व्यावसायिक भू-उपयोग उपान्तरण किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। भूखण्ड का सैटबैक-योजना अनुसार, उँचाई-12 मीटर, एवं अन्य मानदण्ड योजना अनुसार होंगे। भूखण्ड का निर्माण जविप्रा से मानचित्र अनुमोदन कराकर किया जावेगा, जिसमें ऐजेण्डे के प्रस्ताव के अनुसार समस्त शर्तें लागू होंगी।	निदेशक (आयोजना)	
12	109.12	जयपुर विकास प्राधिकरण में एनालिस्ट कम प्रोग्रामर का एक पद सृजित किये जाने के संबंध में।	सर्वसम्मति से एनालिस्ट कम प्रोग्रामर का एक पद सृजित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं जिसकी स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाने का निर्णय लिया गया।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
13	109.13	जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थित राजस्थान ग्राम नीडड तहसील आमेर के खसरा नम्बर 2247, 2269, 2277, 2181, 2203, 2208, 2209, 2221, 2222, 2236, 2242, 2252, 2261, 2262, 2271, 2281, 2180, 2182, 2201, 2204, 2207, 2215, 2227, 2228, 2237, 2254, 2270, 2276, 2282, 2200, 2205, 2210, 1053, 1054, 2251, 2259, 2263, 2264, 2177, 2216, 2217, 2218, 2229, 2230, 2233, 2239, 2223, 2243, 2245, 2248, 2257, 2260, 2267, 2272, 2178, 2219, 2220, 2231, 2232, 2234, 2240, 2249, 2250, 2224, 2255, 2256, 2265, 2266, 2273, 2274, 2279, 2283, 2179, 2202, 2206, 2211, 2225, 2226, 2238, 2241, 2246, 2235, 2278, 2253, 2258, 2268 एवं 2275 कुल किता 87 कुल रकबा लगभग 13.84 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने के संबंध में।	आवेदित रकबा लगभग 13.84 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग ग्रामीण से आवासीय किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रप्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
14	109.14	सहायक निरीक्षक (उद्यान) के सीधी भर्ती कोटा के 2 पदों को पदोन्नति कोटा में एक बारीय स्थानान्तरित करने की स्वीकृति बाधत।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सहायक निरीक्षक उद्यान के सीधी भर्ती कोटा की दो व्यक्तियों में से एक पद पदोन्नति कोटा में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति दी गई।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	

15	109.15	8 बेलदारों के पदों के सृजन की स्वीकृति बाबत।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐजेण्डे के प्रस्ताव के अनुसार 5 बेलदारों का स्थाईकरण किये जाने की स्वीकृति दी गई एवं 8 बेलदारों के पदों के सृजन की स्वीकृति हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
16	109.16	अभियान्त्रिकी संवर्ग में अतिरिक्त तकनीकी पदों के सृजन के संबंध में।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रकरण केडर मैनेजमेंट कमेटी में निर्णय लिया जाकर आगामी ई.सी. की बैठक में प्रस्तुत किया जावे।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	
17	109.17	जयपुर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व की ग्राम जाहोता, तहसील आनेर के खसरा नं. 865, 866, 893, 900, 901, 936, 946, 947, 953, 954, 956, 957, 950/2277, 959, 958, 960, 968, 1068/2283, कुल किता 22 रकबा 28.44 हैक्टेयर भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में दर्शित ग्रामीण से आवासीय उपान्तरण/रूपान्तरण किए जाने के संबंध में।	जविप्रा स्वामित्व की भूमि का कुल रकबा 28.44 हैक्टेयर का भू-उपयोग मास्टर विकास प्लान 2011 में दर्शित ग्रामीण से आवासीय उपान्तरण/रूपान्तरण किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। प्रकरण 1000 वर्गगज से अधिक होने के कारण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को अग्रेषित किया जावे।	निदेशक (आयोजना)	
18	109.18	जविप्रा क्षेत्र में स्थित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृह निर्माण सहाकारी समिति की योजना हनुमान नगर के भूखण्ड संख्या सी-213 क्षेत्रफल 439.06 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक किये जाने के संबंध में।	आयोदित जविप्रा द्वारा अनुमोदित मोती भवन गृह निर्माण सहाकारी समिति की योजना हनुमान नगर के भूखण्ड संख्या सी-213 क्षेत्रफल 439.06 वर्ग गज का भू-उपयोग उपान्तरण व्यावसायिक किये जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। भूखण्ड के पैरामीटर योजना अनुसार होंगे। भूखण्ड पर निर्माण जविप्रा से मानचित्र अनुमोदन करवाकर किया जावेगा।	निदेशक (आयोजना)	
19	109.19	जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 1984 की अनुसूची संख्या-द्वितीय अभियांत्रिकी सेवा में क.सं. 3 (सहायक अभियन्ता) के पदोन्नति संबंधी वर्तमान प्रावधानों में संशोधन बाबत।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गठित समिति के सुझाव के अनुसार वर्तमान पदोन्नति प्रक्रिया जविप्रा कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम 1984 में साईट अभियन्ता से सेक्टर अभियन्ता के पद पर पदोन्नति के विहित प्रावधान के अनुरूप ही किया जाना उचित है। अतः वर्तमान प्रावधानों में संशोधन की आवश्यकता नहीं है।	अति. आयुक्त (प्रशासन)	


 सचिव
 जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में आयोजित की गई। उपस्थिति निम्न प्रकार रही :-

क्र. सं.	नाम सदस्य / अधिकारी	पद	विभाग	
1	श्री ओ. पी. गुप्ता	शासन उप सचिव	नगरीय विकास विभाग राजस्थान सरकार	सदस्य के प्रतिनिधि
2	श्री जी. एल. गुप्ता	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य सचिव
3	श्रीमती कमोदी गुप्ता	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
4	श्री एस. सी. सोनी	निदेशक (अभियांत्रिकी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
5	श्री एस.सी. महापात्रक	निदेशक (आयोजना) एच.टी. पी. एम. पी.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
6	श्री आर. पी. केडिया	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	सदस्य
7	श्रीमती राजेश यादव	सलाहकार (इन्फ्रा)	रीको	सदस्य के प्रतिनिधि
8	श्री सुनील शर्मा	आयुक्त	जयपुर नगर-निगम, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
9	श्री एम. पी. मीणा	अति. जिला कलक्टर तृतीय	कलक्टर जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
10	श्री के.जी. मित्तल	अधिक्षण अभियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
11	श्री डी.पी. बंसल	तकनीकी सहायक नगर वृत्त जयपुर	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	सदस्य के प्रतिनिधि
12	श्री एम. सी. अग्रवाल	अधिराशी अभियन्ता (सी.डी. 4)	जे. पी. सी. एन. एल. जयपुर	सदस्य के प्रतिनिधि
अन्य अधिकारी उपस्थित				
13	श्री रामनिवास मीणा	अति.आयुक्त (परिचय)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
14	श्री मातादीन शर्मा	अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
15	श्री ज्ञाना राम	अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
16	सुश्री रेखा गुप्ता	अति.आयुक्त (प्रशासन)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
17	श्री सी.एम. अग्रवाल	ओ.एस.डी.(आर.एम.)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
18	श्री भाग्यचन्द बघाल	उपायुक्त जोन-3	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
19	श्री इन्दर सिंह सोलंकी	उपायुक्त जोन-12	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	
20	श्री प्रभात गोस्वामी	पी. आर. ओ.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	

सचिव,
जयपुर

क्रमांक प-2(ई.सी.) / जविप्रा / उपा. / जोन-12 / 2006 / 10333
प्रतिलिपि निम्न की अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है:-

दिनांक 21/11/06

37

क्र.स.	पद	विभाग का नाम
1.	निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2.	महापौर	जयपुर नगर निगम।
3.	जिला प्रमुख	जिला परिषद, जयपुर।
4.	अध्यक्ष	राजस्थान आवासन मण्डल।
5.	शासन सचिव	नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6.	आयुक्त	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7.	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	रीको, जयपुर।
8.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान पर्यटन विकास निगम, जयपुर।
9.	प्रबन्ध निदेशक	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
10.	जिला कलेक्टर	जिला कलेक्ट्रेट, जयपुर।
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	नगर निगम, जयपुर।
12.	पुलिस अधीक्षक	पुलिस विभाग, जयपुर।
13.	सचिव	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
14.	मुख्य नगर नियोजक	नगर नियोजन, राजस्थान, जयपुर।
15.	मुख्य अनियन्ता	सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर।
16.	मुख्य अनियन्ता	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर।
17.	मुख्य अनियन्ता	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
18.	निदेशक (विधि)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
19.	निदेशक (अभियांत्रिकी / प्रोजेक्ट)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
20.	निदेशक (परियोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
21.	निदेशक (आयोजना)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
22.	निदेशक (वित्त)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
23.	अतिरिक्त आयुक्त पूर्व / पश्चिम / प्रशासन / एल.पी.सी	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
24.	वरिष्ठ नगर नियोजक (प्रोजेक्ट / बीपीसी)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
25.	उपायुक्त जोन.....	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
26.	विशेषाधिकारी (जन-सम्पर्क)	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

सचिव,
जविप्रा, जयपुर